

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा०प्र०से०,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-सह-अवर सचिव,  
बिहार भूमि न्यायाधिकरण, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

विषय :-

मुख्य शीर्ष 2014-न्याय प्रशासन -106-लघु वाद न्यायालय -0003- बिहार भूमि न्यायाधिकरण  
मांग सं०-40 विपत्र कोड 40-2014001060003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में  
1,35,88,000/- (एक करोड़ पैतीस लाख अठासी हजार) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वेतनादि एवं अन्य मदों में उपबंधित राशि कुल  
1,35,88,000/- (एक करोड़ पैतीस लाख अठासी हजार) रुपये मात्र निम्न रूप से आवंटित की जाती है :-

विषय शीर्ष	इकाई का नाम	बजट उपबंध	आवंटित राशि	शेष राशि
01-वेतन	01 वेतन	2295000	2295000	0
	03 जीवन यापन भत्ता	3006000	3006000	0
	04 मकान किराया भत्ता	313000	313000	0
	05 परिवहन भत्ता	5000	5000	0
	06 चिकित्सा भत्ता	3000	3000	0
	07 अन्य भत्ता	216000	216000	0
	योग-40-2014.00.106.0003.01-वेतन		<b>5838000</b>	<b>5838000</b>
06- चिकित्सा प्रतिपूर्ति	01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	200000	200000	0
योग-40-2014.00.106.0003.06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति		<b>200000</b>	<b>200000</b>	<b>0</b>
11-यात्रा व्यय	01 यात्रा व्यय	500000	500000	0
योग-40-2014.00.106.0003.11-यात्रा व्यय		<b>500000</b>	<b>500000</b>	<b>0</b>
13-कार्यालय व्यय	01 कार्यालय व्यय	2000000	2000000	0
	02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	400000	400000	0
	03 दूरभाष	300000	300000	0
	05 विद्युत प्रभार	500000	500000	0
	10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	200000	200000	0
योग-40-2014.00.106.0003.13-कार्यालय व्यय		<b>3400000</b>	<b>3400000</b>	<b>0</b>
20-अन्य प्रशासनिक व्यय	02 कॉन्फरेस, कार्यालय, सेमिनार	500000	500000	0
योग-40-2014.00.106.0003.20 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ		<b>500000</b>	<b>500000</b>	<b>0</b>
28-व्यावसायिक सेवाएँ	02 संविदा सेवाएँ	2650000	2650000	0
योग-40-2014.00.106.0003.28 व्यावसायिक सेवाएँ		<b>2650000</b>	<b>2650000</b>	<b>0</b>
52-मशीनरी एवं उपस्कर	01 मशीनरी एवं उपस्कर-कार्यालय	500000	500000	0
योग-40-2014.00.106.0003.52 मशीनरी एवं उपस्कर		<b>500000</b>	<b>500000</b>	<b>0</b>
		<b>कुल 1,35,88,000/-</b>	<b>(एक करोड़ पैतीस लाख अठासी हजार)</b>	

कृ०पृ०उ०

2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में की जायगी।
3. राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड, मांग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
4. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि(2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव, भाड़े की गाड़ी का भुगतान, दूरभाष, विधि प्रभार, वर्दी/पोशाक, कॉन्फरेंस, कार्यालय, सेमिनार, संविदा सेवार्य, मशीनरी एवं उपस्कर आदि मदों में मितव्ययिता बरती जाय। सभी मदों में पूरे वर्ष के लिए किये गये बजट उपबंध के अनुसार ही आवश्यकता को देखते हुए व्यय किया जाय।
5. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले माह की 7 वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।
6. इसकी सूचना महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह0 / -  
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-...../रा0, पटना-15, दिनांक-.....  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / -  
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-...../रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट), बिहार, पटना /कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना /लेखा शाखा, बिहार भूमि न्यायाधिकरण (दो प्रतियो में)/अध्यक्ष, बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / -  
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक - 03 (5) ...../रा0, पटना-15, दिनांक 08-05-17  
प्रतिलिपि :- विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के अपर सचिव।